कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड़ नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल, म०प्र० - 462003

क्रमांक/F-1/FP/MP/MIN/149270/2021/ 50 8 प्रेषक:-

भोपाल, दिनांक ()5 | 02 | 2025

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- वनमण्डल सिंगरौली के बैढ़न परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक PF-261 के रकबा 53.142 हेक्टेयर वनभूमि में खडिया ओपन कास्ट कोल ब्लॉक अंतर्गत कोयला खनन का नॉर्दन कोलफील्डस लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/149270/2021

संदर्भ:- भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 17.09.2024

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 10 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी आवेदक संस्थान/वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली/दमोह के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो निम्नानसार प्रेषित है:-

	जायपुर्क रास्त्रान्त्र प्राप्तान्त्र हैं।							
क्रमांक	चाही गई जानकारी			जानकारी				
i	The State Govt. shall clarify whether the project requires separate Wildlife Management Plan or otherwise. In addition, the status of implementation of the wildlife management plan prepared for Dudhichua mine shall be submitted.	सिंगरौली योजना क दुध तहत प्राव को वर्ष 2	के अंतर्गत खडिया परि गी आवश्यकता होगी। गीचुआ परियोजना के उ किलन में प्रस्तावित कार्य 023-24 से 2032-33 त	ो के संबंध में लेख है कि वनमण्डल योजना में पृथक से वन्यप्राणी प्रबंधन अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के ग्रें को कराया जा रहा है। इस योजना क क्रियान्वित की जायेगी।				
ii	submitted.		प्रस्तुत की है कि:- arding 750 Ha approved and proved and proved was combinedly obtained and Khadia OCP. It is that are a feasibility, out of the chold area of the Khadichua OCP. It is pertinent to mention and the said Forest Clain and Dudhichua OCC, considering only 6 Pradesh, total forest	ned for 1305 Ha Forest land for However, considering mining and he 750 Ha, only 664 Ha is within dia OCP. The remaining land lies on here that Both Khadia and nd owned by Northern Coalfields earance was combinedly obtained				
clarification.	is 904.765 ha. This variation needs clarification.	Sl. No.	Forest land details 664 Ha in UP state	FC details letter no. 8-298/87-FC dated				
		1	oo. Ha in or state	30.07.1990.				
		2	180 Ha in MP	letter no. 8-85/2005-FC dated 14.09.2010.				
		3	7.623 Ha in MP	letter no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007 (Being transferred from Bina OCP)				
		4	53.142 Ha in MP	Application in process				
		Total	904.765 Ha.					

चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा iii The variation in the approved forest land has been noticed in the State Govt. letter जानकारी प्रस्तुत की है कि:dated 05.08.2024 because as per the FC was combinedly obtained for 1305 Ha Forest land approval granted by Ministry vide letter for Dudhichua and Khadia OCP. However, considering no. 8-298/87-FC dated 30.7.1990 for an mining and operational feasibility, out of the 750 Ha, only area of 1305.00 ha which includes 750 ha 664 Ha is within the leasehold area of the Khadia OCP. The for Khadia OCP Mine whereas State Govt. remaining land lies in Dudhichua OCP. mentioned that 664 ha has been approved It is pertinent to mention here that Both Khadia and for Khadia OCP Mine in Uttar Pradesh Dudhichua OCP are projects and owned by Northern State. This variation needs clarification. Coalfields Limited and the said Forest Clearance was combinedly obtained for Khadia and Dudhichua OCP. The State Govt. इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि परियोजना में प्रभावित iv has not submitted/uploaded the technically 53.142 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में दमोह वनमण्डल के approved CA scheme/crop improvement अंतर्गत प्राप्त 53.142 हेक्टेयर गैर वनभूमि की रोपण योजना program along with site suitability तैयार की गई है। रोपण योजना के साथ प्रस्तावित गैर वनभूमि certificate for non forest land proposed for CA which needs submission. के राजस्व अभिलेख, KML फाईल, जियो रिफरेंस मेप आदि अभिलेख संलग्न है। इस प्रस्तावित गैर वनभूमि को वनमण्डलाधिकारी, दमोह द्वारा रोपण योग्य पाया है तथा इसका उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में लेख है कि प्रत्यावर्तित The State Govt. shall submit the KML file of 360 ha degraded forest land for CA 180 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्रस्तावित 360 हेक्टेयर which was then approved against forest बिगड़े वनक्षेत्र की KML फाईल ई-मेल द्वारा आपको प्रेषित है। diversion proposal of 180 ha. चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा The State Govt. shall submit the Map/ vi KMLfile showing the mineral जानकारी प्रस्तुत की है कि:transportation routes and the additional KML file of the transportation route is enclosed at requirement of forest land if any. C(a)(5) at part -I of the application. Details of the mineral Transport route is as below. 1. Through existing Coal Handling Plant of 04 MTPA:- This CHP is built within the mine lease area of Khadia OCP and no separate forest land is required. Through This CHP, coal is being dispatched through rail mode. 2. Through existing Coal Handling Plant of 06 MTPA:-This CHP is built within the mine lease area of Khadia OCP and no separate forest land is required. Through This CHP, coal is being dispatched through rail mode. 3. Through Upcoming Rapid Loading System (RLS) of 04 MTPA:- This RLS is being constructed within the mine lease area of Khadia OCP and no separate forest land is required. Through This RLS, coal will be dispatched through rail mode. 4. Using Krishnashila CHP:- A portion of coal will be dispatched through Krishnashila CHP and FC of all the required land has been obtained by Khadia and Krishnashila OCP. FC obtained by Krishnashila OCP is enclosed herewith as Annexure-A. 5. Using Wharfwall of Jhingurdah Wharfwall / western Stream of CHP:- A portion of coal will be dispatched through Jhingurdah Wharfwall and FC of all the required forest land has been obtained by Khadia, Dudhichua OCP and Jhingurdah OCP. FC obtained by Dudhichua OCP & Jhingurdah OCP is enclosed herewith as Annexure-B. Map of transportation route is enclosed as annexure – C.

vii	As per DSS analysis (copy enclosed), small part of proposed CA land on NFL is falling in the forest compartment boundary i.e. Range: Sagoni, Block: Padari, Division: Damoh. The State Govt. shall look into the matter and shall ensure that the CA is proposed on Non Forest land which is suitable and free from all encumbrances.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में लेख है कि परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया है कि रकबा 92.230 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 53.142 हेक्टेयर गैर वनभूमि में वनभूमि/परिभाषित वनभूमि शामिल नहीं है। (संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामा की प्रति संलग्न है)
viii	The DGPS Map and Survey of India Toposheet map showing the proposed Non Forest Land for CA shall be uploaded online.	प्रस्तावित गैर वनभूमि का DGPS Map and Survey of India Toposheet map संलग्न है।
ix	The reason for non-inclusion of forest land under Uttar Pradesh State in the instant lease has not been clarified.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी दी है कि:- As shown in the enclosed map of the queries raised, the said area is Shaktinagar Railway Station and does not form the part of Khadia Leasehold Area. This Area is excluded from Khadia Leasehold Boundary also.
X	Based upon the compartment boundaries available on the DSS, the forest land within the lease was found 242.574 ha out of which the State Govt. has given details of 240.765 ha forest land only. Hence, status of 1.809 ha forest land shall be clarified.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी दी है कि:- The KML of outer boundary has been corrected and the forest land within Madhya Pradesh state is 240.765 Ha, details of which is as follows: 1. Forest Clearance for 180 Ha obtained vide letter no. 8-85/2005-FC dated 14.09.2010. 2. 7.623 Ha area to be diverted from Bina OCP of M/s NCL from the Forest Clearance obtained for 378.935 Ha vide letter no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007. Transfer of the same from Bina OCP to Khadia OCP is in process. 3. For remaining 53.142 Ha area, present application has been made.

उपरोक्तानुसार आवेदक संस्थान/वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली/दमोह से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमित प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(एच.एस.मोहन्ता) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल भोपाल, दिनांक 05/02/2025

105.2.15

पृ०क्रमांक/F-1/ FP/MP/MIN/149270/2021/ 509 प्रतिलिपि-

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा/सागर वृत्त, मध्यप्रदेश।

2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सिंगरौली(दमोह, मध्यप्रदेश।

3 महाप्रबंधक, खिडया परियोजना नॉर्दन कोलफील्डंस लिमिटेड, सोनभद्र (उ०प्र०) 231222

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म०प्र0) सूचना का

माजन मोद जिला पंचायत के बगल में

इमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

क्रं0 / तक0 / 221 प्रति

बैद्धन, दिनांक 10.01, 2025

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भ-प्रबंध) म०प्र० भोपाल

विषय:-

वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के वन कक्ष कमांक पी.एफ. 261 के रकवा 53.142 हे0 वन भूमि में खड़िया विस्तार परियोजना अन्तर्गत कोयला उत्खनन व्यपवर्तन का एनसीएल का ऑनलाईन प्रस्ताव Ф0 FP/MP/MIN/149270/2021

संदर्भ:-

S.N

- 1. आपका पत्र क्रमांक / एफ-1 / FP/MP/MIN/149270/2021 / 4982 भोपाल दिनांक 24.09.2024
- 2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 17.09.2024
- 3. वन मण्डल अधिकारी दमोह का पत्र कुमांक / मा.चि. / 6620 दिनांक 26.12.2024
- 4. महाप्रबंधक एन.सी.एल खड़िया परियोजना का पत्र क्रमांक / ४६१२ दिनांक २६.१२.२०२४

-000-

विषयांतर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980(2) के तहत नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड खड़िया परियोजना में माइनिंग हेतु प्रस्तावित है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैढ़न अन्तर्गत कक्ष कमांक पी.एफ. २६१ कुल रकवा ५३.१४२ हे० वन भृमि प्रस्तावित हैं।

सन्दर्भित पत्र (1) से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परियोजना के संबंध में 10 बिन्दुओं की जानकारी चाहीं गयी है। जिसमें आवेदक संस्थान, वन मण्डल दमोह से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर मूलतः संलग्न है, एवं बिन्दु कमांक 1, 5 की जानकारी तैयार कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है। जो निम्नानुसार है:--

The same of the sa	project requires separate Wildlife Management Plan or otherwise. In addition, the status of implementation of the wildlife management plan prepared for Dudhichua mine shall be submitted.
	The variation in the forest area within the lease has been observed as the total Mine lease of Khadia OCP is 1697.906 ha, out of which 750 ha approved Forest land is in Uttar Pradesh State and remaining 187.623 ha approved Forest land [180 ha forest approved for Khadia & 7.623 ha forest land approved for Bina extension OCP has been proposed to be included in Khadia OCP] is in Madhya Pradesh State and the user agency has submitted instant forest diversion proposal for 53.142 ha forest land. Hence, total forest land within the lease is found to be 990.765 ha whereas the State Govt. has stated that the total forest within the lease area is 904.765 ha. This variation needs clarification.

Queries raised

Repiv • वनमण्डल सिंगरौली के अंतर्गत खड़िया परियोजना में पृथक The State Govt. shall clarify whether the से वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की आवश्यकता होगी।

> • दुद्धीचुआ वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के तहत वन परिक्षेत्र बैढन अंतर्गत प्रथम वर्ष 2023-24 एवं हितीय वर्ष 2024-25 में प्राक्कलन में प्रस्तावित (वन्यप्राणी प्रबंधन) कार्यों को कराया जा रहा है। उक्त परियोजना वर्ष 2023-24 से 2032-33 तक कार्यान्वित की जावेगी।

> Regarding 750 Ha approved forest land in Uttar Pradesh, following may please be noted.

> FC was combinedly obtained for 1305 Ha Forest land for Dudhichua and Khadia OCP. However, considering mining and operational feasibility, out of the 750 Ha, only 664 Ha is within the leasehold area of the Khadia OCP. The remaining land lies in Dudhichua OCP

> It is pertinent to mention here that Both Khadia and Dudhichua OCP are projects and owned by Northern Coalfields Limited and the said Forest Clearance was combinedly obtained for Khadia and Dudhichua OCP.

> Hence, considering only 664 Ha forest land in Khadia Area in Uttar Pradesh, total forest land in Khadia Expansion OCP comes 904.765 Ha. Breakup in tabular form with FC Nos. are given below.

SI. No.	Forest land details	FC details	
1	664 Ha in UP	letter no. 8-298/87-FC dated	
	state	30.07.1990.	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		
		2	180 Ha in MP	letter no. 8-85/2005-FC dated 14.09.2010.
		3	7.623 Ha in MP	letter no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007 (Being transferred from Bina OCP)
		4	53.142 Ha in MP	Application in process
		Total	904.765 Ha.	
iii	The variation in the approved forest land has been noticed in the State Govt. letter dated 05.08.2024 because as per the approval granted by Ministry vide letter no. 8-298/87-FC dated 30.7.1990 for an area of 1305.00 ha which includes 750 ha for Khadia OCP Mine whereas State Govt. mentioned that 664 ha has been approved for Khadia OCP Mine in Uttar Pradesh State. This variation needs clarification.	Dudhicl and ope within the land lie It is p Dudhicl Coalfiel combin	combinedly obtohua and Khadia derational feasibilition are so in Dudhichua Octohua Oct	ntion here that Both Khadia and rojects and owned by Northern the said Forest Clearance was Khadia and Dudhichua OCP.
iv	The state Govt. has not submitted / uploaded the technically approved CA scheme/crop improvement program along with site suitability certificate for non forest land proposed for CA which needs submission.	Suitabil	lity certificate atta) Damoh)
V	The State Govt. shall submit the KML file of 360 Ha degraded forest land for CA which was then approved against forest diversion proposal of 180 Ha.	Kml of 360 Ha degraded forest land for CA approved against forest diversion proposal of 180 Ha is attached herewith.		
vi	The State Govt. shall submit the Map/ KML	KML file of the transportation route is enclosed at C(a)(5) at		
	file showing the mineral transportation		of the application.	
	routes and the additional requirement of forest land if any	Details 1.	Through existing This CHP is built OCP and no s	ansport route is as below. 3 Coal Handling Plant of 04 MTPA: within the mine lease area of Khadis separate forest land is required IP, coal is being dispatched throug
		2.	This CHP is built OCP and no s	g Coal Handling Plant of 06 MTPA: within the mine lease area of Khadiseparate forest land is required IP, coal is being dispatched through
		3.	MTPA:- This RL mine lease area	ing Rapid Loading System (RLS) of Oas S is being constructed within the a of Khadia OCP and no separate quired. Through This RLS, coal will be ugh rail mode.
		4.	dispatched thro the required lan Krishnashila OCF	ila CHP:- A portion of coal will be ugh Krishnashila CHP and FC of al id has been obtained by Khadia and P. FC obtained by Krishnashila OCP i th as Annexure-A.
		5.		of Jhingurdah Wharfwall / wester A portion of coal will be dispatche

		through Jhingurdah Wharfwall and FC of all the required forest land has been obtained by Khadia, Dudhichua OCP and Jhingurdah OCP. FC obtained by Dudhichua OCP & Jhingurdah OCP is enclosed herewith as Annexure-B.
		Map of transportation route is enclosed as annexure – C.
vii	As per DSS analysis (Copy enclosed), small part of proposed CA land on NFL is falling in forest compartment boundary i.e. Range:Sagoni, Block: Padari, Division:Damoh. The state Govt shall look into the matter and shall ensure that CA is proposed on Non forest land which is suitable and free from all encumbrances.	As per information received by DFO, Damoh and user agency, a joint inspection has been made by representatives of Forest department, Damoh, Revenue Department, Damoh and Khadia Area, NCL and it has been observed that there is no forest land overlapping with the identified non-forest land for CA. Copy of the Panchnama signed after joint inspection is enclosed herewith as Annexure-D. Also revised KML of the identified CA land has been uploaded by User Agency in Part-I of the application.
viii	The DGPS Map and Survey of India	DGPS Map and Survey of India Toposheet Map of NFL Land
1	Toposheet Map showing the proposed Non	attached.
	Forest Land for CA shall be uploaded online.	(Reply received from DFO Damoh)
ix	The reason for non-inclusion of forest land under Uttar Pradesh State in the instant lease has not been clarified.	As shown in the enclosed map of the queries raised, the said area is Shaktinagar Railway Station and does not form the part of Khadia Leasehold Area. This Area is excluded from Khadia Leasehold Boundary also.
X	Based upon the compartment boundaries available on the DSS, the forest land within the lease was found 242.574 ha out of which the State Govt. has given details of 240.765 ha forest land only. Hence, status of 1.809 ha forest land shall be clarified.	 The KML of outer boundary has been corrected and the forest land within Madhya Pradesh state is 240.765 Ha, details of which is as follows: 1. Forest Clearance for 180 Ha obtained vide letter no. 8-85/2005-FC dated 14.09.2010. 2. 7.623 Ha area to be diverted from Bina OCP of M/s NCL from the Forest Clearance obtained for 378.935 Ha vide letter no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007. Transfer of the same from Bina OCP to Khadia OCP is in process. 3. For remaining 53.142 Ha area, present application has been made.

वन मण्डल अधिकारी

बैढ़न, दिनांक 10:01, 2025

पृ०क्र० / तक० / 222

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म०प्र० की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. महाप्रबंधक खड़िया परियोजना नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड खड़िया परियोजना (मिनिरत्न कंपनी) कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी



Office of General Manager

Northern Coalfields Limited Khadia Project

(A Miniratna Company) (A subsidiary of Coal India I immed)





CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company थाना- शक्तिनगर, जनपद-सोनभद्र (उ. प्र.), पिन - 231222/ Thana-Shaktinagar, Dist. Sonebhadra (U.P.) Pin- 231222

Phone: 05446- 232274, (FAX) 05446- 232274 Email: cgm.khd@gmail.com, website : www.nclcil.in Date: - 26/12/2024

Ref: NCL/KHD/GM/Min/Env/FC 53.142 Ha/2024-25/46/2

Divisional Forest officer, Singrauli Forest Division MP Forest Department, Singrauli

Subject:- Diversion of 53.142 Ha forest land in compartment No PF-261, Waidhan Range of Singrauli Forest Division for Khadia Expansion Open Cast Coal Mine Project by M/s Northern Coalfields Ltd. (NCL) under Singrauli District of Madhya Pradesh State (Online No FP/MP/MIN/149270/2021)

Ref.:- (i) Online proposal no. FP/MP/MIN/149270/2021

(ii) EDS raised by AIG (Forest), MoEF&CC, New Delhi vide letter dated 17.09.2024.

(iii) Letter issued by APCCF (Land Management), MP, Bhopal vide letter no. F-1/ FP/MP/MIN/149270/2021/4982 dated 24.09.2024.

(iv) EDS raised by DFO, Singrauli on 08.10.2024

Respected Sir,

In reference to the above, this is to submit that an EDS was raised by AIG (Forest), MoEF&CC, New Delhi in the online proposal for Diversion of 53.142 Ha forest land in compartment No PF-261, Waidhan Range of Singrauli Forest Division for Khadia Expansion Open Cast Coal Mine Project by M/s Northern Coalfields Ltd. (NCL) under Singrauli District of Madhya Pradesh State, vide letter 17.09.2024.

In connection with the above letter, APCCF (Land Management), MP, Bhopal vide letter no. F-1/ FP/MP/MIN/149270/2021/4982 dated 24.09.2024 raised query to your good office for reply of queries raised by MoEF&CC, New Delhi. As per the letter, reply of query of point no. ii, iii, vi, ix & x was to be provided by Khadia Project.

Point wise reply of the queries raised by MoEF&CC, New Delhi vide letter dated 17.09.2024 is enclosed herewith.

It is requested to kindly consider the replies submitted and forward the online proposal with kind reply of remaining queries in the EDS issued by MoEF&CC, New Delhi. Encl.:- As above.

Copy to:- (1) General Manager (Environment & Forest), NCL Singrauli

(2) General Manager, Dudhichua Area, NCL.

Yours, faithfully

General Manager

Khadia Area, NCL

Northern Coalfields Limited Khadia Area

Point wise reply of the queries raised by MoEF&CC, New Delhi on 17.09.2024 in the Forest slowers and the GER and t Forest clearance application of 53.142 Ha required for Expansion of Khadia OCP.

SI. No.	Queries raised	Doub		
	The State Govt, shall clarify whether the project requires separate Wildlife Management Plan or otherwise. In addition, the status of implementation of the wildlife management plan prepared for Dudhichua mine shall be submitted.	Department, Singrauli, M.P.		
ii	The variation in the forest area within the lease has been observed as the total Mine lease of Khadia OCP is	Regarding 750 Ha approved forest land in Uttar Pradesh, following may please be noted.		
1697.906 ha, out of which 750 ha approved Forest land is in Uttar Pradesh State and remaining 187.623 ha approved Forest land [180 ha forest approved for Khadia & 7.623 ha forest land approved for Bina extension OCP				
Khadia OCP] is in Madhya Pradesh State and the user agency has Coalfields Limited and the		It is pertinent to mention here that Both Khadia and Dudhichua OCP are projects and owned by Northern Coalfields Limited and the said Forest Clearance was combinedly obtained for Khadia and Dudhichua OCP.		
	Hence, total forest land within the lease is found to be 990.765 ha	n the Hence, considering only 664 Ha forest land in Khadia Are		

nd in Khadia Area hadia Expansion whereas the State Govt. has stated that OCP comes 904.765 Ha. Breakup in tabular form with FC Nos. are given below.

SI. No.	Forest land details	FC details
1	G64 Ha in UP state	letter no. 8- 298/87-FC dated 30.07.1990.
2	180 Ha in MP	letter no. S- 85/2005-FC dated 14.09.2010.
3	7.623 Ha in MP	letter no. S- 58/2005-FC dated 13.08.2007 (Being transferred from Bina OCP)
4	53.142 Ha in MP	Application in process
Total	904.765 Ha.	

the total forest within the lease area is 904.765 ha. This variation needs

clarification.

-		
lii	The variation in the approved forest land has been noticed in the State Govt. letter dated 05.08.2024 because as per the approval granted by Ministry vide letter no. 8-298/87-FC dated 30.7.1990 for an area of 1305.00 ha which includes 750 ha for Khadia OCP Mine whereas State Govt. mentioned that 664 ha has been approved for Khadia OCP Mine in Uttar Pradesh State. This variation needs clarification.	FC was combinedly obtained for 1305 Ha Forest land for Dudhichua and Khadia OCP. However, considering mining and operational feasibility, out of the 750 Ha, only 664 Ha is within the leasehold area of the Khadia OCP. The remaining land lies in Dudhichua OCP. It is pertinent to mention here that Both Khadia and Dudhichua OCP are projects and owned by Northern Coalfields Limited and the said Forest Clearance was combinedly obtained for Khadia and Dudhichua OCP.
iv	The state Govt. has not submitted / uploaded the technically approved CA scheme/crop improvement program along with site suitability certificate for non forest land proposed for CA which needs submission.	Reply to this point may be arranged by Forest Department, Singrauli, M.P. after receipt of the same from Forest Department, Damoh, M.P.
V	The State Govt. shall submit the KML file of 360 Ha degraded forest land for CA which was then approved against forest diversion proposal of 180 Ha.	Reply to this point may be arranged by Forest Department, Singrauli, M.P.
vi	The State Govt. shall submit the Map/ KML file showing the mineral transportation routes and the additional requirement of forest land if any	 KML file of the transportation route is enclosed at C(a)(5) at part -I of the application. Details of the mineral Transport route is as below. 1. Through existing Coal Handling Plant of 04 MTPA:- This CHP is built within the mine lease area of Khadia OCP and no separate forest land is required. Through This CHP, coal is being dispatched through rail mode.
		 Through existing Coal Handling Plant of 06 MTPA:- This CHP is built within the mine lease area of Khadia OCP and no separate forest land is required. Through This CHP, coal is being dispatched through rail mode.
		3. Through Upcoming Rapid Loading System (RLS) of 04 MTPA:- This RLS is being constructed within the mine lease area of Khadia OCP and no separate forest land is required. Through This RLS, coal will be dispatched through rail mode.
		4. Using Krishnashila CHP:- A portion of coal will be dispatched through Krishnashila CHP and FC of all the required land has been obtained by Khadia and Krishnashila OCP. FC obtained by Krishnashila OCP is enclosed herewith as Annexure-A.
		5. Using Wharfwall of Jhingurdah Wharfwall / western Stream of CHP:- A portion of coal will be

And the second second	aurdah Wharfwall and IC
dispatched through Jhing	gurdah Wharfwall and FC land has been obtained CP and Jhingurdah OCP.
of all the required loves	and thingurdah OCP.
by Khadia, Dudhichua C	I land has been been och och och and Jhingurdah OCP. Ja OCP & Jhingurdah OCP. Annexure-B.
is enclosed herewith as	Annexure o.

Map of transportation route is enclosed as annexure – C.

	1	and the same of th
Vii	As per DSS analysis (Copy enclosed), small part of proposed CA land on NFL is falling in forest compartment boundary i.e. Range:Sagoni, Block: Padari, Division :Damoh. The state Govt shall look into the matter and shall ensure that CA is proposed on Non forest land which is suitable and free from all encumbrances.	Reply to this point may be arranged by Forest Department, Singrauli, M.P. after receipt of the same from Forest Department, Damoh, M.P. However, it is pertinent to mention here that a joint inspection has been made by representatives of Forest department, Damoh, Revenue Department, Damoh and Khadia Area, NCL and it has been observed that there is no forest land overlapping with the identified non-forest land for CA. Copy of the Panchnama signed after joint inspection is enclosed herewith as Annexure-D. Also KML of the identified CA land is being sent through mail.
viii	The DGPS Map and Survey of India Toposheet Map showing the proposed Non Forest Land for CA shall be uploaded online.	Reply to this point may be arranged by Forest Department, Singrauli, M.P. after receipt of the same from Forest Department, Damoh, M.P.
ix	The reason for non-inclusion of forest land under Uttar Pradesh State in the instant lease has not been clarified.	As shown in the enclosed map of the queries raised, the said area is Shaktinagar Railway Station and does not form the part of Khadia Leasehold Area. This Area is excluded from Khadia Leasehold Boundary also.
x	Based upon the compartment boundaries available on the DSS, the forest land within the lease was found 242.574 ha out of which the State Govt. has given details of 240.765 ha forest land only. Hence, status of 1.809 ha forest land shall be clarified.	The KML of outer boundary has been corrected and the forest land within Madhya Pradesh state is 240.765 Ha, details of which is as follows: 1. Forest Clearance for 180 Ha obtained vide letter no. 8-85/2005-FC dated 14.09.2010. 2. 7.623 Ha area to be diverted from Bina OCP of M/s NCL from the Forest Clearance obtained for 378.935

in process.

has been made.

General Manager Khadia Area, NCL

Ha vide letter no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007. Transfer of the same from Bina OCP to Khadia OCP is

3. For remaining 53.142 Ha area, present application

F.No. 8-64/2004-FC Government of India Ministry of Environment and Forests

Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003 Date: 06.07.2006

To

The Principal Secretary (Forests)
Govt. of Uttar Pradesh
Lucknow.

Sub: Diversion of 235.99 ha of forest land for Krishnashila Open Cast Project in favour of M/s Northern Coalfields Limited in district Sonebhadra, U.P. Sir,

I am directed to refer to your letter no. 792(1)/14-2-2004-500(5)/2004 dated 12.05.2004 on the above mentioned subject whereunder the above proposal was submitted seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by Forest Advisory Committee constituted under Section-3 of the Act.

- 2. After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the above mentioned Advisory Committee, the Central Government granted in-principle approval vide letter of even no. dated 06.01.2005 subject to certain conditions. The compliance of these conditions was submitted vide Nodal Officer's letter No. 1318/11-C/24(Sonbhadra) dated 19.05.2006. After consideration of the proposal and compliance of various conditions by the State Government, the Central Government hereby conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 235.99 ha of forest land for Krishnashila Open Cast Project in favour of M/s Northern Coalfields Limited in district Sonbhadra, U.P. subject to the fulfilment of following conditions:
 - i. Legal status of the forest land shall remain unchanged.

ii. Compensatory Afforestation will be raised and maintained over degraded forest land double in extent at the cost of User Agency.

iii. The State Government shall deposit all the funds received from the User Agency with the Ad-hoc Body of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in Account No. CA 1574 of Corporation Bank (A Government of India Enterprises), Block-11, Ground Floor, C.G.O. Complex, Phase-1, Lodhi Road, New Delhi-110003, as per the instructions communicated vide letter No. 5-2/2006-FC dated 20.05.2006.

Suludi

C 4.

The non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation shall be notified by the State Government as R.F. under Section-4 or P.F. under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the Local Forest Act, as the case may be, within a period of six months. The Nodal Officer (F.C.) shall report compliance.

Felling of trees shall be done only when necessary and that too under strict supervision of and with the prior permission of the State Forest

Department.

vi. No labour camps shall be set up in the forest area nor any habitation shall be allowed to come up in the area.

vii. The forest land shall not be used for any purpose other than that

specified in the proposal.

viii. The forest land thus diverted shall be non-transferable. Whenever and whatever extent of forest land is not required by the User Agency, it shall be surrendered to the State Forest Department after proper rehabilitation under intimation to this Ministry.

Any, other condition that the C.C.F. (Central), Regional Office, Lucknow, may impose from time to time for protection and improvement of flora and fauna in the forest area, shall also be

applicable.

(S.K.Chadha)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.

 The Nodal Officer, O/o the Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.

3. CCF (Central), Regional Office, Lucknow.

4. RO-Hq., New Delhi

5. User Agency

6. Monitoring Cell, FC Division.

Guard File

Assistant Inspector General of Forests

U

w. W. M. M. S.

115

Lelegram : PARYAVARAM, NEW DELHI

दूरमाय: Telaphone: टेलेन्स (दिमापीय):

Telex: (bl-lingual): W-66185 DOE IN

FAX: 4360678

भारत सरकार
प्यांवरण एवं वन मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
पर्यांवरण भवन, सी॰ जी॰ औं। कॉमप्सेवस
PARYAVARAN BHAWAN, C.G.O. COMPLEX
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

9.8-5/94-FC

Dated: 23.05,1996

The Secretary (Forests), Sovernment of Ottar Cradesh, LUCKHOU.

biversion of 258.00 ha. of forest land for coal wine under bina Mine No.11 project of NEL, Singrauli in District conebhadra.

l am directed to refer to your letter No.7592/14-2-93-800 millions dated 5.1.94 on the above mentioned subject seeking approval of the Ceptral Government in accordance with action-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980

After careful consideration of the proposal of the State to definent, the Central Government hereby, conveys its approval applied Section-2 of the Forest (Conservation) Act, for diversion of 19.00 has of forest land for enal mine under Sina Mine Posti fulfilment of Mil, Singraphi in District Somethadra, subject to fulfilment of (ollowing conditions:

- the tegal status of forest land shall remain unchanged.
- the compensatory afforestation shall be raised over squivalent non-forest land at project cost. The non-forest land adaptified for compensatory afforestation will be notified as protested forest under the Indian Forest Activities.
- fill feecing protection and regeneration of the safety zolde seemed be carried out at the project cost. furthely, and classical over degraded forest land equivalent.

- 4 7 1
- Act object to a maximum of in years.
- tv) and equate soil conservation/reclemation measure; will taken at the project cost to provent any soil erosi problem in catchwant of Gobiad Gallabh Paul Sagar, detailed plan in the segard will be prepared by the Forest Department, which will be implemented in a line bound wanter at project cost.
- (vi), Free fuelwood/alternate energy ragice will be provided to labourers working at project altr.

Yours faithfully.

ASSIL HISPECIDE GENERAL OF FORESTS

tony in:

- Principal Chief Conservator of Lorgets, Govt. of Ultar Pradesh, Luckney.
- Hodal Officer, Office of Prix, Govt. of Illar tradesh, Luckness.
- the CLF (Central), Pregional Affice, Luzknow.
- 4. ED(HD), Rew Delhi.
- 5. Guard File.

ANTENALEAN OF FORESTS

90

issuel

Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,

Jorbagh Road, Aliganj,
New Delhi – 110003
Dated: 3rd May, 2021

To,
The Principal Secretary (Forests),
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal

Sub: Diversion of 467.809 hectares of forest land/revenue forest land (443.000 ha. forest land + 24.809 ha. Revenue forest land=467.809 ha. forest land) for Opencast Coal Mining in favour of M/s. Northern Coal Fields Limited, Rewa in Singrauli District State of Madhya Pradesh (Online proposal No. FP/MP/MIN/13685/2015) -regarding

Madam/Sir,

I am directed to refer to Addl. Principal Chief conservator of Forests (Land Management) and Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, State Government of Madhya Pradesh letter No. F-1/783/2017/10-11/3262 Bhopal dated 30.10.2017 on the above mentioned subject, seeking prior approval of Central Government under Section-2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful examination and recommendation of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the said Act, *In-principle/Stage - I* approval to the proposal was granted by this Ministry's letter of even number dated 19.04.2018 subject to fulfillment of certain conditions prescribed therein. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

2. In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Land Management)



and Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh vide their letters No. F-1/FP/MP/MIN/13685/2015/3108 dated 27.09.2019, letter No. F-1/FP/MP/MIN/13685/2015/124 dated 08.01.2020, letter No. F-1/FP/MP/MIN/13685/2015/1531 dated 20.05.2020, letter No. F-1/FP/MP/MIN/13685/2015/116 dated 11.01.2021 and letter No. F-1/FP/MP/MIN/13685/2015/1333 dated 06.04.2021 'Final approval /Stage — II' of the Central Government is hereby granted under Section -2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 467.809 hectares of forest land/revenue forest land (443.000 ha. forest land + 24.809 ha. Revenue forest land=467.809 ha. forest land) for Opencast Coal Mining in favor of M/s. Northern Coal Fields Limited, Rewa in Singrauli District State of Madhya Pradesh, subject to fulfilment of the following conditions:

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land to user agency by the State Govt.:

- i. The User Agency shall implement the R&R Plan (if required) as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF &CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;
- ii. The State Government shall ensure that compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been completed in accordance with the relevant Rules and Guidelines issued by the MoEF&CC in this regard, before handing over of forest land to the user agency;
- iii. The User Agency either itself or through the State Forest Department shall undertake fencing, protection and afforestation of the safety zone area (7.5 meter strip shall be kept within the mining lease or mining cluster, as applicable and such other areas as specified in the approved mining plan) at the project cost. Area of safety zone of a mining lease shall be a part of the total area of the mining lease;
- iv. The State Govt. shall ensure that the boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates; and

- v. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986;
- vi. The State Government shall upload the kml files of the area under diversion and the accepted degraded forest land for raising compensatory afforestation in the E-Green Watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency;

B: Conditions which need to be complied after handing over of forest land to the user agency by the State Govt.:

- i. Legal status of the forest land shall remain unchanged;
- ii. The State Government shall ensure that the minimum number of trees shall be removed and the trees should be felled under the strict supervision of the State Forest Department;
- iii. The Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 935.618 ha degraded forest land ((i.e. twice in extent to the area of forest land proposed to be diverted (2 x 467.809 = 935.618 ha.) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;
- iv. The User Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;
- v. The user agency shall undertake mining and reclamation of the mined out area as per the approved mining plan and the directions of the concerned Divisional Forest Officer;
- vi. Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, and the Rules framed there-under as amended;
- vii. The State Govt. shall ensure that the Following activities be implemented by the user agency under the supervision of the State Forest Department at the project cost;
 - a. A plan containing appropriate mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented;
 - b. Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion;

03/05/2021

- c. Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down
 of the excavated material along the contour;
- d. Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching so as to ensure that that angles of repose at any given place is less than 28°; and
- e. Strict adherence to the prescribed top soil management;
- viii. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government:
- ix. No labour camps shall be set up inside the forest area. Labour management plan should be implement with emphasis that no labour camp be set up in the close vicinity of the eco-fragile and sensitive areas;
- x. The Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;
- xi. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;
- xii.No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;
- xiii.No damage to the flora and fauna of the area shall be caused
- xiv. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;
- xv. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;
- xvi. The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area;
- xvii.The State Government shall ensure to implement the Integrated Wildlife Plan for the region at the project cost;
- xviii. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior

approval of Govt. of India;

- xix. The change in the layout plan of the mining lease, if required, shall be done as prescribed in the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;
- xx. The Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the para 1.21 of comprehensive guidelines issued vide this Ministry F. No.5-2/2017-FC dated 28thMarch, 2019;
- xxi. The mining lease holder shall, after ceasing mining operations, undertake regrassing of the mining area, and any other areas which may have been disturbed due their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc.;
- xxii.Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall be carried with by the State Government and user agency; and
- xxiii. The State Government and user agency shall ensure compliance to all conditions stipulated in the Stage-I approval letter dated 19.04.2018 for which undertakings have been obtained from the user agency and also the provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (S) and NGT Order (S), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)

Dy. Inspector General of Forests

Copy to: -

- 1. The Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Department of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
- 2. The Regional Officer, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Bhopal;
- 3. The Nodal Officer, (FCA), Department of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal;
- 4. User Agency;
- 5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi, for uploading on PARIVESH portal.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश क्रमांक/एफ-5/1102/2022/10-11/|6|7- भोपाल, दिनांक 6 | 5 | 2 2 प्रति,

वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मंडल सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषय:— सिंगरौली जिले में बोदराटोला ग्राम की मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 0.957 हेक्टेयर वनभूमि झिंगुरदहा परियोजना, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन क्रमांक FP/MP/ROAD/143702/2021)

-संदर्भ:-मुख्य वन संरक्षक, रीवा का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 10247 दिनांक 31.12.2021

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, रीवा एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन, 2019 अनुसार 01 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- NPV: Net Present Value(NPV) amount of Rs. 9,16,595/- is to be paid for the 0.957 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 3- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 4- प्रकरण में कोई वृक्ष नहीं काटे जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना रोपण अथवा 100 वृक्षों का रोपण किया जाना होता है। अतः प्रकरण में 100 वृक्षों की राशि, 2000/— प्रति वृक्ष की दर से राशि रु. 2,00,000/— कैम्पा मद में जमा कराई जावे।

- 5- User agency shall restrict the no felling of trees.
- 6- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
- 7- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.
- 8- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 9- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 10- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 11- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 12- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 13- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 14- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 15- No work shall be done during night.
- 16- The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि रू. 9,16,595 / — एवं 100 वृक्षों की रोपण की राशि रूपये 2,00,000 / — आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सिंगरौली का प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने / क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमित जारी न की जावे।

(सुनील अग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल


पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1102 / 2022 / 10-11 / 1618 भोपाल, दिनांक 6 / 5 / 22 प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश। 1-

महाप्रबंधक, झिंगुरदहा परियोजना, नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड (NCL) सिंगरौर्ल मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध) , मध्य प्रदेश, भोपाल



रयान पन्यतीमा 3 200 at an 10 2024 of Allor gal 408 07054, 2027 1 20-की सम्बानी ते ते हैं है किया तीन भट्ट (उप) किमान सिंग्रे कि (मण्यण) का स्प्तितित की गडि है। जिसका नाश्व तहरीनार मकल परवारी किहा परविद्या परियोजना, एन.सी. एत. के यति निह रोहित अगार भुरता व्लिविभाग की रूफ से कीर गांउ अवारी सम सीम राष्ट्री के सार्थ संगुक्त स्वल निर्मिश्व किया ग्राम् र यल निर्मा में पाया ग्राम कि परणारी हल्ला के पारंप बतेमान चाल निष्मा जो उपलब्ध है, हरतार ति भ्रमिका ड 3.142 है रवार ति भ्रमिका ड 3.142 पळारी नेक्से के अनुसार वन विभाग की भूकि प्रशाबित नहीं होती ही हस्तालिश रकवा गर वन भूमि है 05:12-204 05:12.224 05:12-204 NT 83-512 Bremsnight Phinosy and Sharing 5/12/024
68-12-2024 12/024 Dy Nowyer Bry Evalue Area, rec



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दमोह वनमण्डल दमोह (म.प्र.)





क्रमांक / मा.चि. /

6620

दमोह, दिनांक 26- 2-2024

प्रति

बनमण्डल अधिकारी वनमण्डल सिंगरौली

−मेल−dfotdmoh@mp.gov.in

विषय

वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढन के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 261 के रकवा 53.142 है. वनभूमि में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खडिया परियोजना अंतर्गत कोयला उत्खनन व्यपवर्तन हेतु आनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN /149270/2021 के संबंध में।

संदर्भ।

1- आपका पत्र क्रमांक/ 4519 दिनांक 16-07-2024

2- मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर का तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/ब्यय/ कैम्पा/114 दिनांक 05-09-2024!

3- नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खडिया विस्तार परियोजना का पत्र क्रमांक/ 4608 दिनांक 24-12-2024।

4- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/FP/MP/MIN/149270/2021/4982 दिनांक 24-09-2024।

===000===

विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र दिनांक 16-07-2024 द्वारा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खडिया परियोजना हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु आनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN /149270/2021 हेतु कलेक्टर जिला दमोह के आदेश क्रमांक 002 अ/20(3) वर्ष 2024-25 दिनांक 12-06-2024 से मौजा ग्राम घुघरी प;ह;नं; 54 तहसील पटेरा में खसरा नंवर 🗘 🗸 उकवा 92.230 ha. एवं में से 53.142ha. रकवा मद पहाड वन विभाग को उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि की 11वर्षीय ध्रुतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना राशि 2,39,58,731/- की तकनीकी स्वीकृति सहित आपको प्रेपित की गई थी। जिसमें भारत सरकार द्वारा ली गई आपित्तयों की पूर्ति आवेदक संस्था द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 24-12-2024 द्वारा की गई है।

अत: अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/FP/MP/MIN/149270/2021/4982

दिनांक 24-09-2024 द्वारा विन्दु क्रमांक 4,7,8 की चाही गई जानकारी निम्नानुसार है-

S.No.	Query	Answer
iv	The State Govt. has not submitted/uploaded the technically approved CA scheme/crop imporovement program along with site suitability certificate for non-forest land proposal for CA which needs submission.	CA scheme was sent earlier (reatechned again) and Site Suitability certificate attached.
Vii	As per DSS analysis (copy encosed) small prart of proposal CA land on NFL is falling in the forest compartment i.e. Range: Sagoni, Block: padari, Division Damoh. The State Govt. shall look into matter and shall ensure that the CA is proposed on Non-Forest land which is suitable and free from all encumbrances.	revised KML and Panchnama are attached in Email.
viii	The DGPS Map and Survey of india Toposheet map showing the proposed Non-forest land for CA shall be uploaded online.	DGPS Map and Survey of india Toposheet map attached.

I.F.S.

वनमंडल अधिकारी वनमंडल (सा.) दुमोह

दमोह, दिनांक १५ १५ १५

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 6601 प्रतिलिपि :-

> 1-मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर की ओर सूचनार्थ।

महाप्रवंधक नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड खडिया परियोजना सिंगरौली की ओर सूचनार्थ। 2-

> वनमंडल वनमंडल (सा.), दमोह


स्थल निरीक्षण प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना प्रतिवेदन का मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक .५२-7-24.... को किया गया क्षेत्र का घनत्व हैं।है। क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र में कापिस देने वाली प्रजाति के जीवित ठूंठ/पोलार्ड निरंक/अल्प/प्रचुर मात्रा में है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना प्रतिवेदन का मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 22....7... 24..... को किया गया क्षेत्र का घनत्व विकास है। क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र में कापिस देने वाली प्रजाति के जीवित ठूंठ/पोलार्ड निरंक/अल्प/प्रचुर मात्रा में है।

उपवनमंडल अधिकारी उपवनमंडल दमोह





साल क्लांक ostalased की मीला धुपरी पण्ड केंग्डिंग, यूर्सरी कें 73 रुणवा पुरारा के प्राप्त मीला धुपरी पण्ड केंग्डिंग, यूर्सरी केंग्र 73 200 वा 92.230 है में से 53.142 है अपने रवास्था परियोगना पोरट अपित नगर जिला सोम भट्ट उपने अनेमान सिंग्रोंकी (मण्य) की दरलातरित की गाउँ है। जिसका नायूष तहरीलहार मञ्चल हल्ला उप पमनी, रविष्या परियोजना, एन.सी. एत. के यति मिह चीहित अभार भुत्ता वनविभाग की त्यक ये कीर गांड अवारी सम सीम राष्ट्री के सार्थ रामुकत स्वल निर्देशन किया मन्या स्यल चाल निक्शा जो अपलवहा है, हरतातीरत भूमि का 53.142 हे रक्ता चिन्द्राकित किया मया जी सही पामा अस्पानी पट्यारी नाम्ब्री के अनुसार वन विभाग की भूमि प्रशापित नहीं होती है हस्तालिस्त रक्या गर वन भूमि है

Dy manyer Env Expansion Area, rich Knowled Area, rich

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक / व्यय / कैम्पा-2024 / प्र

सागर दिनांक : 05../09../2024

वनमंडल अधिकारी दमोह द्वारा पत्र क्रमांक / व्यय / 925 दिनांक 30/08/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत NORTHERN COALFIELDS LIMITED सिंगरौली द्वारा प्रस्तावित Khadia Expansion Open Cast Project (Regitration Number FP/MP/MIN/149270/2021) में प्रभावित वनभूमें 53.142 हेक्ट के बदले में कलेक्टर दमोह द्वारा आदेश क्रमांक 002अ/20(3) वर्ष 2024-25 दिनांक 12/06/2024 से दमोह वनमंडल अंतर्गत तहसील पटेरा के परिक्षेत्र सगौनी में खसरा नं. 73 रक्वा 53.142 हेक्ट. का 11 वर्षीय (वर्ष 2024-25 से 2034-35) प्राक्कलन अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के तथा उक्त स्थल परिवर्तन स्वीकृति वरिष्ठ से प्राप्त होने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03 / नियम / चार भीपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power,1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र वनमंडल योजना / कार्य का नाम तहसीलं परिक्षेत्र राशि (रू. रकवा हे. ग्राम खसरा का नाम में में) कं. 1 2 8 5 6 1 दमोह सगौनी Khadia Expansion Open Cast पटेरां : घुघरी 73 53.142 23958731 **Project** FP/MP/MIN/149270/2021

- मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति है व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
- 2. प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एतं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- 3. कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
- 4. कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 5. क्य की जाने वाली सामग्री में भंडार क्य नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक / कैम्पा / 408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र कं / कैम्पा / 318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 6. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
- 8. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नहीं पाये जाते है तो उवन संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
- 9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावें, मिन्तता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगें।
- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र /अनु. / 168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई / गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आह्रण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

कार्य कराने में प्रधान मुख्य, वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक / कैम्पा / 408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक / एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं

संवितरण अधिकारी का होगा।

14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक / कैम्पा / 469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में कुंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से

पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक / कैम्पा / 470-62/2539-2540 दिनांक

07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक / एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी(कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र कमांक / कैम्पा / 3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्यो (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लेंटानां / खरपतवार उन्मूलन, पुल / पुलिया निर्माण, भू-जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अद्योसंरचना कार्यो) को E-green watch portal पर (के.एम.एल / अंक्षाश देशांतर सहित) प्रमाण-पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

19. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू—जल संरक्षण कार्यो हेतु प्रस्तावित राशि से भू—जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत बोल्डर चेकडेम/ब्रशबुड चेकडेम छोटे—छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर

परकोलेंशन टेंक, भू-जल संरक्षण संरचानाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।

20. वृक्षारोपग योजना में प्रस्तावित 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क जमा कराने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक / 1766-1767 दिनांक 02/05/2023 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ

कमांक-D.....6.. के अनुकमांक .५1..पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह) मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर

सागर दिनांक : 5../.9../2024

पृ.क्रमांक / व्यय / कैम्पा-2024 / २**१२०** प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4. वन मण्डल दमोह की ओर उनके पत्र कमांक / व्यय / 925 दिनांक, 30/08/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अप्रेषित।

प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेन्नु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-24

मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



प्रोजेक्ट रिपोर्ट

योजना

– क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत

मद का नाम

नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की *ट्विड्या*— विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण

वक्षारोपण कार्य।

परिक्षेत्र का नाम

सगौनी

परिक्षेत्र सहायक वृत्त

- सलैया

बीट का नाम

- ग्वारी

ग्राम वन समिति

- धुद्धरा

खसरा नंबर

-73

क्षेत्र प्रकार

BL-2

वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र

53.142 हेक्टेयर

योजना अवधि

- 2024-2025 社 2034-2035

योजना की राशि रू.

- 23958731

वन मण्डल – दमोह, वनवृत्त – सागर (मध्य प्रदेश)

बिगड़े वनो का सुधार (पुर्नस्थापन समूह) भाग – 1 सामान्य विवरण

परियोजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम

नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की व्यविद्धा विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण कार्य।खसरा क्रमांक 73, ग्राम जुद्धरीमें वृक्षारोपण का क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कर क्षेत्र को सुरक्षित करना।

(ब) भारत सरकार का अनुमोदन (मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर)

2 जिला – दमोह

3 वन मण्डल – दमोह (सामान्य)

4 परिकार — सगौनी

5 तहसील – पटेरा

6 विकास खण्ड – पटेरा

7 तिधान सभा क्षेत्र – हटा

थेनीम परिक्षेत्र सहायक वृत — सलैया

9 क्षेत्रीय परिसर (बीट) - ग्वारी

2 स्थल विशेष जानकारी -

ग्राम वन समिति – दुवरी

2 वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक – खसरा नं. 73

२ सरक्षा हेत् क्ल घेराव का रकबा 53.142 हेक्टेयर

4 योजना अनुसार कार्य हेतु योग्य क्षेत्र — 53.142 हेक्टेयर 5 गठित समिति का प्रकार — वन सुरक्षा समिति

 6
 समिति का मुख्यालय
 — बमनी

 7
 समिति में सम्मिलित ग्राम
 — बमनी

3.

उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

(भ) गोपोग्राफी - समतल एवं पठारी

 (बी) एस्पेक्ट (आकृति)
 — उत्तर

 (सी) ढ़लान
 — मध्यम

 (अ)
 पानी निकासी
 अच्छी

 (a)
 भू–क्षरण
 मध्यम

(डी) चट्टानों का विवरण – बलुआ पत्थर

(इ) मिट्टी का प्रकार - कड़ी एवं बलुई मिट्टी

 (एफ)
 औसत वार्षिक वर्षा
 — 120 से.मी.

 (जी)
 नरम मिट्टी का क्षेत्र (है0)
 — 20 हेक्टेयर

 (एच)
 कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (है0)
 — 9 हेक्टेयर

 (आई)
 पथरीली मिट्टी (है0)
 — 0 हेक्टेयर

क्षेत्र का विवरण :-वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण (y) साइट क्वालिटी, घनत्व IV B 0.2 से कम 41) पूण वनवर्धन का क्षेत्र 195) आंशिक तन तर्गन का क्षेत्र NIL (डी) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र NIL खरपतवार मुख्यतः (ま) 45.00 हेक्टेयर लेन्टाना / वनतुल्सा (एफ) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र 53.142 हेक्टेयर ारागाह रोपण योग्य क्षेत्र (1) (एन) विकत बॉस का क्षेत्र (आई) क्षेत्रं जो पथरीला कटाव वाला एवं 0 हेक्टेयर प्राकृतिक रुप से रिक्त है (कार्य NIL अयोग्य) (क) जैविक दवाव अतिक्रमण की पूर्ण संभावना है। जैविक दबाब प्रकार औसत नगण्य अत्यधिक वन्य प्राणी चराई मानव 1. बिगड़े वनो के सुधार (पुर्निस्थापन समूह) क्षेत्र में आने वाले पौधों का योजना कां उद्देश्य 5. 1. संरक्षण कर पुनरुत्पादन बढ़ाना। 2. क्षेत्रीय जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। 3. रिक्त क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण कर क्षेत्र को वृक्ष से हरा-भरा करना व उत्तम श्रेणी का वन तैयार करना। वनभूमि हेक्टेयर रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये - सामाजिक वानिकी रोपणी नोहटा, सांगा

जायेंगे

रोपणी से रोपण स्थल की दूरी कि.मी. 7

ट्रक, द्वारा (कि.मी.)

- 75 कि.मी. अधिकतम (एक ट्रिप)

(वी) सिरबोझ द्वारा (कि.मी.) - 1-2 कि0मी0

योजना अवधि 8

2024-2025 से 2034-2035

योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय (रु० में) 19800604 9

(विस्तत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)

प्रति हेक्टेयर व्यय (रु० में)

372598

अन्य विवरण- असिंचित रोपण क्षेत्र 10

प्रति हेक्टर पौधों की संख्या 1000 प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (y) 100 रोपण से प्राप्त हाने वाले प्रस्तावित पौधों की (41) 53142 संख्या

> कुल 53242

सामान्य वनमंडल दमोह,परिक्षेत्र सगौनी

नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की विद्यार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण स्थल — वृक्ष्या खसरा नं. 73

वर्ष 2024-2025 भाग-1

क्षत्र का वर्तमान भौतिक स्वरूप

(1) परांतल की बनावट - समतल / ढलान

(2) ढलान:-

खसरा नंबर	कुल रकवा	10 [°] ढलान	10° से 30° ढलान	30° से 40°	40° से अधिक
73	53.142	60	20	10	10

1- चट्टानेः-

:--

05 प्रतिशतः

2- कडी मिट्टी

. ._

65 प्रतिशत

नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की खेट्रियां विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के अनुसार में जातपूर्ति वृक्षारोपण वर्ष 2024–25 में प्रस्तावित राजस्व क्षेत्र. वृक्षारोपण स्थल – दुक्ती. खसरा नं. 73 में किया गया हैं। जिसका वर्तमान भौतिक स्वरूप निम्नानुसार हैं।

कक्ष क्रमांक:-परिसर ग्वारी कल क्षेत्रफल:-सलैया 53.142 हे. सहायक वृत्त पातन श्रेणी:-ग्राम वन समिति बमनी सुधारपातन कक्ष का कुल क्षेत्रफल:-बमनी ग्राम पंचायत कार्य योग्य क्षेत्रफल:- 53.142 हेक्टेयर विकास खंड पटेरा

(वृक्षारोपण) योजना ग्यारह वर्षो की एवं प्रत्येक वर्ष की पृथक-पृथक बनाई गई हैं। कार्य आयोजना के निर्देश अनुसार उपचारित क्षेत्र की आगामी सात वर्षो तक सुरक्षा की जाना हैं।

> (९ X बी.) वन परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी

शासकीय स्वीकृति प्रधान/अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक का पत्र क्/कैम्पा/ दिनाक:-/07/2024 10-2406 (6699) 10-2406 (7882) यत्तर मद 61-2406 (विशेष घटक) 41-2406 (7882) राशि रूपये में स्वीकृत आवंटन 19800604 इस प्राजेक्ट की कुल राशि रूपये में 23°52'53.68"N Latitute वयानेत स्थल का 79°45'25.34"E Longitute प्रोजेक्ट में चयनिंत क्षेत्र का विवरण ढलानवार विवरण प्रस्तावित कंटूर ट्रेंच की संख्या चयनित क्षेत्र का रक्वा हे.में. जल एवं भू 10 से कम यू.एस.—1 / बी.एल.1 संरक्षण कार्य 10 से 30 यू.एस.−2 / बी.एल.2 एवं ठॅठ ड्रेसिंग कार्य 30 से 40 यू.एस.→3 / बी.एल.3 अन्य वानिकी कार्य 40 से अधिक यू.एस.–४ / बी.एल.४ हां / नहीं हां ट्रीटमेंट मेप 1:15000 स्केल पर संलग्न हैं:-1:15000 हां / नहीं हां सामाते का ठहराव प्रस्ताव संलग्न हैं:--हां हां / नहीं राजपत्रित अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न हैं:-सी.एफ. जॉबदर:-14 प्राक्कलन में प्रयुक्त दर :-पी.डबलू.डी.एस.ओ.आर. 15 आई.ई.एस.एस.ओ.आर. 16 हां / नहीं वृक्षारापण हेतु प्रजाति का उल्लेख किया गया हैं:-

17

18 कार्य आयोजना कियान्वयन के प्रावधानों हेतु प्रस्तावित कार्यों की वन मंडल अ	धिकारी के द्वारा जारी चेक लिस्ट
सामान्य वन मंडल दमोह	
वृत का नाम (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर	
वन मंडल का नाम :- दमोह	
वन परिक्षेत्र का नाम सगौनी	*, * * * *
कार्य आयोजना की अवधि	
कार्य समूह कार्य वृत्त	*
संरक्षण गुप	18/0
जैव विविध नंदियो के क्षेत्र संरक्षण	जलग्रहण
पुनरूत्पादन ग्रुप प्रवरण सह	1655 A
सी.डब्ल्यू,अ इन्प्रुवमेंट	ार
पुनरूत्पादन कार्यवृत्त वृक्षारोपण	
भू–जलसर्थ पुर्नस्थापना	10
बिगडे बांस	वनो का सुधार चारागाह सुधार
ओव्हर लांपिंग ग्रुप बांस अतिव्य सलई अति	ग्रापी
प्रस्तावित योजना की अवधि – वर्ष 2024-25 से 2034-35 चयनित प्रस्तावित स्थल / कक्ष कं. – बमनी, ,खसरा नंबर 73	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
कथ् का विवरण —	V
1 कक्ष इतिहास अनुसार कक्ष का पूर्ण रकवा	हेक्टेयर में
2 कक्ष इतिहास अनुसार कार्य योग्य रकवा	हेक्टेयर में
3 पूर्व मे उपचारित रकवा	0 हेक्टेयर में

. 1	, कक्ष इतिहास अनुसार कक्ष का पूर्ण रकवा		हेक्टेयर में
2	कक्ष इतिहास अनुसार कार्य योग्य रकवा		हेक्टेयर में
3	पूर्व मे उपचारित रकवा	0	हेक्टेयर में
4	उपचार हेतु शेष रकवा		हेक्टेयर में
5	प्रोजेक्ट मे प्रस्तावित रकवा		हेक्टेयर में

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का सीमांकन एवं उपचार मानचित्र स्थल के अनुसार बनाया गया है। शेच का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों / वृक्षारोपण के योग्य है।

वनरक्षक बीटगार्ड

ग्वारी

परिक्षेत्र सहायक

सलैया

वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र सगौनी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य क्षेत्र की आवश्यक्ता के अनुरूप है। परियोजना अनुमोदन की की अनुशंसा की जाती है।

उप वनमण्डल अधिकारी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्राधिकारी सगौनी द्वारा तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन एवं उप वन मण्डलाधिकारी बगोह द्वारा की गई अनुशंसा से मैं सहमत हूँ।

> वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल-दमोह (सामान्य)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2024 में चयनित राजस्व क्षेत्र स्थल द्वारी, खसरा नंबर 73 उपवारोग्य क्षेत्रफल 53.142 हेक्टेयर कार्य योग्य रकवा 53.142 का मेरे द्वारा दिनांक 22.07.2024 को निरीक्षण कर लिया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र में योजना के अनुसार एवं मृदा एवं जल सरंक्षण की दृष्टि से फेंसिंग कार्य कर सुरक्षित करना, बीज बुबाई आदि कार्य कराया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित क्षेत्र मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु सण्युक्त पाएं जाने से चयनित किया गया है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी

उक्त चयनित राजस्व क्षेत्र स्थल द्वारी खसरा नंबर 73 उपचारोग्य क्षेत्रफल 53.142 हेक्टेयर कार्य योग्य राजा 53.142 है0 का मौका निरीक्षण दिनांक 23 - 07 - 2.024मेरे द्वारा किया गया । चयनित स्थल पस्तावित योजना हेतु उपयुक्त पाया गया।

> उपवनमण्डल अधिकारी उपवनमण्डल दमोह

स्थल निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना प्रतिवेदन का मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक .५२:-७:-७:-० को किया गया क्षेत्र का घनत्वहै। क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र में कापिस देने वाली प्रजाति के जीवित ठूंठ/पोलार्ड निरंक/अल्प/प्रचुर मात्रा में है।

> वन परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना प्रतिवेदन का मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 22-7-24.... को किया गया क्षेत्र का घनत्व हि..............है। क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र में कापिस देने वाली प्रजाति के जीवित ठूंठ/पोलार्ड निरंक/अल्प/प्रचुर मात्रा में है।

उपवनमंडल अधिकारी उपवनमंडल दमोह

प्रमाण पत्र स्थल डाटा संग्रहण

नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की २विड्रियो विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण स्थल -दुर्घ्याखसरा नं. 73

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2024 में चयनित राजस्व क्षेत्र स्थल बमनी , खसरा नंबर 73 जनवारा व क्षत्रफल 53.142 हेक्टेयर कार्य योग्य रकवा 53.142 का मेरे द्वारा दिनांक 20.07.2024 को चयनित किया गया। मौका स्थल के अनुरूप निम्नाकित कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए में व्यक्तिगत रूप से जबाबदार रहूगा।

अ.क.	कार्य विवरण	मात्रा
1 .	सर्वे सीमांकन कार्य	53.142 हेक्टेयर
2	लेंटाना उन्मूलन कार्य	45 हेक्टेयर
3	पौधा रोपण	53142
4	चेनलिंक फेसिंग	3250 र.मी.
.7	अन्य	अग्नि सुरक्षा कार्य, बोड बनवाई , निरीक्षण पथ निर्माण, हंट निर्माण कार

मौका स्थल अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु स्थल उपयुक्त है।

कार्य प्रभारी वीटगार्ड ग्वारी

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2024 में चयनित राजस्व क्षेत्र स्थल द्वारी, खसरा नंबर 73 उपचारोग्य क्षेत्रफल 53.142 हेक्टेयर कार्य योग्य रकवा 53.142 का मेरे द्वारा दिनांक 20.07.2024 को चयनित किया गया। मौका स्थल के अनुरूप निम्नाकित कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए में व्यक्तिगत रूप से जंबाबदार रहूंगा।

वन परिक्षेत्र सहायक प0स0वृत्तः सलैया

नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की न्याद्व्या विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण

स्थल का नाम- ग्राम द्वार विसरा नंबर 73 प्रथम वर्ष 202 25

दर 391 प्रति मा०दि०

भूमि तैयारी क्षेत्रफल 53.142 हेक्टेयर

जी.पी.एस. रीडिंग – उत्तर- 23°52'53.68"N 79°45'25.34"E 44- 23°52'50.87"N 79°44'54.86"E

दक्षिण - 23°53'11.37"N 79°45'17.92"E पश्चिम- 23°52'38.34"N 79°45'5.07"E

		पूर्व 23°52'50.87"N 79°44'54.86"E	कार्य की	दर मा.दिवस	इकाई	कुल	राशि	रिमार्क
Th.		and an iddeal	मात्रा	प्रति इकाई		मानव दिवस		
1	1	1	3	4	5	6	7	8
1	कार	करने से पूर्व Base line डाटा हेतु पुनरोत्पादन सर्वेक्षण	53,142	0.25	प्रति हे.	13	5195	LS.
2	सर्वे	एवं सीमांकन एवं ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री	53.142	0.45	प्रति है.	24	9350	ए वी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भीपार के जॉब दर अनुसार भागे- 1 (1)
3	00,000	हे मुनारों का निर्माण	40.00	6500 00	प्र मुनारा		260000	
4	100	राजाई (है0) (लेन्टाना छोडकर क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाडियां,	_2250	California de				ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय मोपा
1	i	300	8 142	4.00	प्रति है	32.57	12734	के जॉब दर अनुसार माम- 1 (2)
5	लेटा	ना उन्मूलन कार्य						ए.पी.सी.सी.एक, विकास मुख्यालय भीपा
	24	सगन (प्रति हेन्टेयर 1500 झाड़ी से अधिक)	25.00	22	प्रति हे.	550	215050	के जॉब दर अनुसार माग- 1 (3)
	a .	मध्यम (प्रति हेक्टेयर 501 से 1500 झाड़ी)	10.00	12.50	प्रति हे.	125	48875	
	स	विरल (प्रति हेक्टेयर 500 झाड़ी तक)	10.00	8	प्रति हे.	80	31280	
,		ं पु सामग्री कथ मय जी.एस.टी. एवं परिवहन लोडिंग लोडिंग सहित		4			9t ¹⁸	
	1	वनलिक फासग- कुल 3250 मीटर ।	325.)					
		GALVANIZED STEEL CHAIN LINK FENCE FABRIC- Size 75X75mm, Dra 3.15mm Mesh Wire and 4.00mm Dia Line Wires 2 nos Upto 2mr. width and 3 nos. above 2mr. width Conforming to IS 2721-303 with upto date amendments (Code-SMM 300506)	6500	220.00	प्रति व.मी.	0	1430000	Tendar Rate
	2	वारवेड वायर क्य 9750 र मी. क्य	1950	105.00	प्रति कि.ग्रा.	0 .	204750	Tendar Rate
	3	आर भी भी, पोल्स क्यं(2.5 मी, अंतराल पर 2.4 ऊंचाइ)	1430	360,00	प्रति खम्मे	0	514800	Tendar Rate
		ा (अरु । ३० र ३० र ४० र ४० र ४० र ४० र ४० र ४० र	224	243.00	प्र बोरी	0	54432	Tendar Rate
	5.	खम्भा फिक्स करने हेतु गिट्टी क्रय	46	861.00	प्रति घ.मी.	0	39606	Tendar Rate
	6.	धना किस्स करने हेतु बालू क्रथ	23	1665.00	प्रति घ.मी.	0	38295	Tendar Rate
	7	जाली बांधने हेतु वाइंडिंग वायर क्रय	300	70	प्रति कि.ग्रा.	0	21000	, LS.
	8	आर.सी.सी. पोल्स वृक्षारोपण के अंदर परिवहन	1430	25.00	प्रति खम्भे	0	35750	LS.
į.	फंसि	म कार्य						
	-	- ११ - १९१२ केलिंग हेत गडदा एलाइनमेन्ट अनुरेखण	1430	2.50	मा दि. / हजार	4	1398	ए.पी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भीपा के जॉब दर अनुसार भाग- 1 (4)
	2	फेसिंग हेतु खम्भा गाडने हेतु गद्दा खोदाई (30X30X45cm) ,	1430	3.80	सैकड़ा	54	21247	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपा के जॉब दर अनुसार माग- 1 (5.2)
	3	क्रिकेट बनाकर गड्ढं में भरकर खम्भा गाड़ना कक्रीट सामग्री परिवहन सहित	1430	6	सैकड़ा	86	33548	LS.
	4	गड़कों में सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा फिक्स किये गये खम्मों के जमीन सतह पर कंक्रीट की चार दिन तक पानी से सिंचाई	1430	4	सैकडा	57	22365	LS
	Au 15-13	चनांतक जाली खींचना खमें से बांधना व जाली से जाली जोड़ना नथा रखें स्थल से चैनलिक वाहन में लोड करना व रोपण स्थल म अनलाडिंग एवं 200 मी. तक सिरवाझ परिवहन	3250	0.12	रमी	390	152490	ए.वी.सी.सी.एक, विकास मुख्यालय गोपा के जॉब दर अनुसारः
	6	जमीन सतह से.० एवं 200 सेमी. ऊंचाई तक तीन लाइन में वारवेड-वायर खींचना खंमे से बांघना	9750	0.032	र मी	312	121992	ए पी सी सी एफ, विकास मुख्यांलय भोपा के पत्र अनुसार
	7.	फेरिंग मटेरियल परिवहन कार्य।	7.67		120	-	45000	LS
-	गडढे	खुदाई के.पूर्व रस्सी से सीधी लाईन डालना एवं चूने से गडढे के र	थान को चिन्हि	ा तं करना		-+	.,,,,,,,	DE CONTRACTOR OF THE PERSON OF
		∠ भाटर × 2 मीटर अंतराल में	15000	2.50	प्रति हजार	38	14663	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉब
		र मीटर × 2 मीटर अंतराल में	36142	2.50	प्रति हजार	90		्यनसार भागा । (a) ए.पी.सी.सी.एफ गोपाल विकास के जॉब
	3	4 मीटर × 4 मीटर अंतराल में (बांस रोपण हेतु)	2000	2.50				अनुसार माग-1 (4)
		कुल		2.50	प्रति हजार	5	1955	
	गढढा	'खुदाई कार्य- 1000 पौघा प्रति हेक्टेयर	53142				51946	
	31	0.30×0.30×0.30	15000	2.00	mD A		Company of the Compan	सी.सी.एफ वृत्त सागर के जीव दर अनुस
-		. 45×0.45 * 0.45 ₹ł04l0 .		3.00	प्रति सैकड़ा	450	175950	माग-1 (5)
	14	- 10 20 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	38142	5.00	प्रति सैकडा	1907	745676	ए.पी.सी.सी.एफ गोपाल के जॉब दर अनुसा माग-1 (5)
1		कुल	53142				921626	•
_	-Sterre	वली क्य परिवहन साहित (100 ग्राम प्रति पौधा)						सामाजिक वानिकी ईकाई वृत्त सागर के

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की ज्याहिया विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण रथल का नाम ग्राम दुर्ज्या खसरा नंबर 73

UPIN 118 2024 25

क्षेत्रफल 53.142 भूमि तैयारी

जी पी एस शिडिंग — उत्तर- 23°52'53.68"N 79°45'25.34"E दक्षिण - 23°53'11.37"N 79°45'17.92"E

yd 23°52'50.87"N 79°44'54.86"E पश्चिम- 23°52'38.34"N 79°45'5.07"E

ŗ	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		3	4	5	6	7	8
0	पोधों का अमीकरण (सीडलिंग एडॉप्सन) औसतन 100 पौधे प्रति हेक्टैयर	20	1,28	प्रति हेक्टेयर		9985	
1.1	जर भण्य रण विकास कार्य		-				
	में 20 से.मी. से कम गोलाई की आडी, टेडी विकृत पौधों की	3.00	10.256	प्रति है.	30.77	12030	ती ती एफ सागर वृत्त सागर के पत्र क. व्यय/2023/09 दि. 31.01.2023 जींब दर अनुसार माग- 1 (2)
	ब राघन क्षेत्र 0.5 से 1 घनल वालें रथल में 20 से मी से कम गोलाई की आड़ी, टेडी विकृत पौधों की कटाई एवं सफाई कार्य।	7.00	14.810	प्रति है.	103.67	40535	ती ती एक सागर वृत्त सागर के पत्र क व्यग / 2023 / 09 दि. 31.01.2023 जींब दर अनुसार गांग- 1 (2)
	रा 20 रोगी से अधिक गोलाई हेतु दूंठ ड्रेसिंग— अनुपयोगी वृक्षीं, कापिस देने योग्य वृक्षों के जीवित मार्कशुदा लगभग 35 दूंठों एवं प्राप्त के अराई ड्रेसिंग एव एक मीटर घेरे में सफाई करना —						
	· 2: 30 से भी (गोलाई वर्ग)	25	0.018	प्रति वूंठ	0	176	otal Sortil na id anot tong and
	2 31 45 सं.मी (गोलाई वर्ग)	10	0.029	प्रति ठूंठ	0	15	अनुसार भाग- 1 (2)
	3 46-60 से.मी. (गोलाई वर्ग)	0	0.047	प्रति दूठ	0	0	
	4 61-90 से.मी. (गोलाई वर्ग)	0	0.065	प्रति दूंठ	0	0	
	परकोलेशन ट्रेंक निर्माण कार्य।	2	LS	LS		400000	LS
	स्रका धीक ओपडी निर्माण	2	80000.00		1600	160000	LS ,
13	म्ट एव बार्ड बनवाई एवं लगवाई	1	30000.00	LS	0	30000	LS
14	गट एवं बाड बनवाइ एवं लगवाइ	10 000	200 00	प्रतिसेक्टर		2000	LS
16	स्थानीय बीज संग्रहण कार्य	LS	LS	LS		5000	LS
-7	िरीशण पन निर्माण पोसिंग के अंदर 3 मी बौडी पट्टी एवं वृक्षारोपण क्षेत्र के मध्य सीधी व आड़ी 3 मी. बौडी पट्टी	8.000	20.00	प्र.कि.मी.		62560	ए पी.सी.सी.एफ. तिकास मुख्यालय भोपाल के जींब दर अनुसार माग-4 (11.अ)
18	वृक्षारापण स्थल तक पहुच मार्ग	0.000	30.00	प्र.कि.मी.		0	_
19	प्रोजेक्ट तैयार/सेक्टर की प्रत्येक लाईन के सामने खूटी गाडकर	LS	LS	LS		60000	LS
20	गांबर खाद – क्य आयतन का 15%	582	157.5	प्र.घ.मी.		91665	
21	उपजाऊ निद्दी सम्रहण एवं परिवहन कार्य। (30%)	1164	298	प्र.घ.मी.		346872	
42	The state of the s	53142	1.5	प्र.गढडा	797.13	311678	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय मोपार के जॉब दर अनुसार भाग-1 (17)
e:	जन, मन (जूना, रस्सी, गढ्डा खोदने हेतु फावडा , गेंती, खंता , टेप आदि कये।	LS	LS	LS		50000	LS '
				कुल योग :-	6381	6109676	
_		प्रति हेक्टेयर व्यय :-					
24	्रीया प्राप्त हो 10 % मृत पौधों का बदलाव सहित। (पौधा क्य की राशि सामाजिक वानिकी इकाई को देय)	58457	13.00	प्र.नग		759941	सामाजिक वानिकी ईकाई वृत्त सागर । स्वीकृत दर अनुसार
25	वर्गी कम्पोरट खाद कथ परिवहन साहित (प्रति गढडा 2.50 प्रति पौघा)	53142	2.50	प्रति पौधा		13285	सामाजिक वानिकी ईकाई वृत्त सागर दर अनुसार
-				कुल योग :-		700247	2
26	म चल मन्ह्रण कार्य 25%					175061	
				महायो	ग	8753090	

स्थल का नाम- ग्राम दुवरिखसरा नंबर 73

दर 430 प्रति मा०दि०

u.	वर्ष 2025-26		142 हेक्टेय		-	राशि	ा कार्य · रिमार्क
	पाव का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	सारा	रिनाक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बीज बुआई कार्य।				-	20000	L.S.
2	पाधा का परिवहन कार्य	58457	3.00	प्रति पौधा	408	175371	सी.सी.एफ सागर का पत्र क 95 दि. 28.07.222
.3	ट्रक्षुल प्वाइट से 2 कि0मी0 तक की दूरी में सिर बोझ पौधा परिवहन	53142	0.40	प्रति सैकडा पौधा	213	91404	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जींब दर अनुसार माग-2 (4)
4	पौधा रोपण 82520					0	
	अ 0.30×0.30×0.30 से0मी0	15000	1.50	प्रति सैकड़ा	225	96750	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास का व जॉव दर अनुसार भाग-2 (5)
	ब 0.45×0.45×0.45 से0मी0	38142	1.80	प्रति सैकड़ा	687	295219	0114 41 313411 1111-2 (5)
	निदाई कार्य , थाला बनाई कार्य।	5314	1.50	प्रति सैकड़ा	80	34275	ए पी सी.सी एफ मोपाल विकास के जॉव दर अनुसार माग-2 (9)
6	निंदाई कार्ये– निंदाई गुड़ाई, थाला दुरूस्त कराई, मत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	अ-प्रथम गोल निदाई 1मी. व्यास में	53142	1.25	प्रति सैकड़ा	664	285638	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉब दर अनुसार माग-2 (10)
	ब-।इतीय गाल ।नेदाइ 1मी. व्यास म	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	228511	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉव दर अनुसार माग-2 (10)
	स नृतीय गोल निदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	228511	ř
7	वर्मी कम्पोस्ट, नीम खली ,डलबाई कार्य	53142	0.50	प्रति सैकड़ा	266	114255	Job Rate
8	लेंटना मॉपिंग	45	8.00	प्र.हे.		154800	L.S.
9	कीटनाशक एवं ग्रोथहार्मोन क्रय मय	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	. 180000	L.S
10	कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डलबाई कार्य	53142	0.60	प्रति सैकड़ा	319	137106	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपात कं जीब दर भाग-2 (11)
11	वर्मी कम्पोस्ट. नीमं खली डलबाई कार्य	53142	1.00	प्रति सैकड़ा		228511	L.S.
12	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौडी पट्टी में कटाई सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि. मी	27	11524	ए.पी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर माग-3(ब)
1.5	जान्न सुरक्षा काय ३ मीटर की चोडी पट्टी में क़टाई, सफाई एवं जलाई सहित	10.0	2.25	प्रति कि.मी		9675	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय मोपाव के जॉब दर भाग-3(अ)
14	सुरक्षा कार्य-ग्राम वन समिति के माध्यम स	12	26.00	प्रति माह	312	134160	LS
15	1 कि.मी. दूरी से पानी परिवहन कर वृक्षारोपण क्षेत्र के पौधा की सिंचाई करना।	106284	1.25	मा.दि.प्र.सै.		571277	ए पी सी सी एफ. विकास मुख्यालय मोपात के जॉब दर भाग-2 (12)
	53142 X 2 times						4-000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
16				योग :		2996987	,
16	अन्य व्यय (चेंनलिंक फेसिंग मरम्मत, आपडा मरममत, ऑग्न सुरक्षा उपकरण क्य)	-		•	-	50000	LS
				कुल योग :	4262	3046987	
			प्रति	हेक्टेयर व्यय :-		57337	

भाग - 3 व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल का नाम ग्राम दुर्ज्यो खसरा नंबर 73 तृतीय वर्ष 2026-27 क्षेत्रफल.53.142 हेक्टेयर

दर- 474 प्रति मा0दि0 रखरखाव कार्य

क	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पुनरोत्पादन सर्वेक्षण कार्य।	LS	LS	LS	LS	5000	LS
2	पौधा तैयारी त्यय	5314	13.00	प्रति पौधा		69082	सामाजिक वानिकी ईकाई वृत्त सागर के स्वीकृत दर अनुसार
•	a de de la	5314	2.50	प्रति पौधा	28	13285	सी सी एफ सागर वृत्त सागर के पत्र क /व्यय/2021/95 दि 28 . 07 22021 स्वीकृत दर अनुसार
4	ट्रकेबल प्वाइंट से सिर बोझ द्वारा 1 से 2 कि0मी0 तक पौधा परिवहन	5314	0.40	प्रति सैकडा पौधा	21	10075	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर अनुसार भाग-2 (4)
5	मृत पौधों के स्थान पर पौधा लगवाई कार्य	5314	1.50	प्रति सैकड़ा	80	37783	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉव दर अनुसार माग-2 (9)
6	वेनलिंक फेंसिंग एवं निरीक्षण पथ मरम्मत	LS	LS	LS	LS	100000	LS
7	निंदाई कार्य- निंदाई गुड़ाई, थाला दुरूस्त कराई, मत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना	<u> </u>	8		5.	de ver	
	अ- प्रथम गोल निदाई 1मी. व्यास में	53142	1.25	प्रति सैकड़ा	664	314866	ए.पी.सी.सी.एफ मोपाल विकास के जॉव दर अनुसार माग–2 (10)
	व दितीय गोल निदाई 1मी व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकडा	531	251893	8
	स-तृतीय गोल निदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	251893	a 2 (2)
8	कीटनाशक एव ग्रोथ हार्मोस क्य	LS	LS	LS	LS	180000	LS
	खाद डलवाई	53142	0.60	प्रति सैकड़ा	318.852	151136	Job Rate
9	अग्नि सुख़ा कार्य 6 मीटर की चौडी पट्टी में कटार्ड सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि.मी	27.	12703	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर माग-3(ब)
10	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौडी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10.0	2.25	प्रति कि.मी		10665	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
11	1 कि.मी. दूरी से पानी परिवहन कर वृक्षारोपण क्षेत्र के पौधा की सिंचाई करना। 53142 X 2 times	106284	1.25	मा.दि.प्र.सै.		629733	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जींब दर भाग–2 (12)
12	मग्झा कार्य—संमिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	624	295776	LS
		3	y .	योग :		2333890	-
13	अन्य व्यय – झोपडी मुरम्मत एवं घास कटाई कार्य।		34	*		80000	LS
				कुल योग :	2826	2413890	
			प्रति	हेक्टेयर व्यय :-		45423	

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

दर–

स्थल का नाम- ग्राम द्वारिय खसरा नंबर 73 चतुर्थ वर्ष 2027-28 क्षेत्रफल 53.142 है. हेक्टेयर

520 प्रति मा०दि० रखरखाव कार्य

		60	त्र्यर				
*	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा. दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पौधा तैयारी त्यय	5314	13.00	प्रति पौधा		69082	सामाजिक वानिकी ईकाई वृत्त सागर के स्वीकृत दर अनुसार
2	पौधा परिवंहन कार्य	5314	2.50	प्रति पौधा	26	13285	
	ट्रकेवल प्वाइट स सिर बाझ द्वारा 1 से 2 कि0मी0 तक पौधा परिवहन	5314	0.40	प्रति सैकडा पौधा	21	11053	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर अनुसार भाग—2 (4)
4	मृत पौधों के स्थान पर पौधा लगवाई कार्य	5314	1.50	प्रति सैकड़ा	80	41449	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉव दर अनुसार माग-2 (9)
5	निंदाई कार्ये— निंदाई गुड़ाई, थाला दुरूस्त कराइ, मत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं भीरकंष्णक दवाई डालना			×			
	अ-प्रथम गोल निदाई 1मी. व्यास में	53142	1.25	प्रति सैकड़ा	664	345423	ए.पी.सी.सी.एफ मोपाल विकास के जॉव दर अनुसार भाग-2 (10)
	ब–द्वितीय गोल निदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	276338	Commence of the Commence of th
6	कीटनाशक एवं ग्रोथ हार्मीस क्य	LS	LS .	LS	LS	120000	LS .
	खाद डलवाई	53142	0.60	प्रति सैकड़ा	318.852	165803	Job Rate
	कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि.मी	27	13936	ए.पी.सी.एफ, विकास मुख्यालय मोपाल के जॉब दर माग-3(ब)
8	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 .मीटर की चौडी पट्टी में कटार्च, सफाई एवं जलाई सहित	10.0	2.25	प्रति कि.मी		11700	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय गोपाल के जॉब दर माग-3(अ)
		•		योग :		1068070	12 TE
1	मरम्मत एवं घास कटाई, जल संरचनाओं की मरम्मत कार्य।	LS	LS	LS	LS	200000	LS
			- 7	हुल योग :-	0	1268070	
	r e e		प्रति हेक्टे	यर व्यय :-		23862	

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल को नाम- ग्राम धुजिरोखसरा नंबर 73 पंचम वर्ष 2028-29 क्षेत्रफल 53.142ह.

दर–

570 प्रति मा०दि० रखरखाव कार्य

हेक्टेयर

			1011				
豖.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8 .
1	निंदाई कार्यें निंदाई गुडाई, थाला उर्जरत करोई, मत पाँध बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई						
	अ—प्रथम गोल निदाई 1मी. व्यास में	53142	1.25	प्रति सैकड़ा	664	378637	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉव दर अनुसार माग-2 (10)
	व हितीय गोल निदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	302909	्र जाय पर अनुसार माग-2 (10)
	कीटनाशक एतं ग्रीथ हार्मीस कय	LS	LS	LS	LS	40000	· LS
	खाद हलवाई	53142	0.60	प्रति सैकड़ा	318.852	181746	Job Rate
2	अग्मि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौडी पटटी में कटाई. सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि.मी	27	15276	ए.पी.सी सी एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर माग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौडी पटटी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10.0	2.25	प्रति कि.मी		12825	ए.पी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जीब दर भाग-3(अ)
1	अन्य व्यय – नेनलिंक फेसिंग, निरीक्षण पथ मरम्मत एवं घास कटाई, जल संरचनाओं की मरम्मत कार्य।	LS	LS	LS	LS	100000	LS .
5	सुरधा कार्य-सिगति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	624	355680	LS
1	180			कुल योग :-		1084163	
			प्रति हेक	टेयर व्यय :-		36776	

सगौनी

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

दर–

स्थल के। नाम- ग्राम दुर्जी खसरा नंबर 73 षष्ठम वर्ष 2029-30 क्षेत्रफल 53.142.है. हेक्टेयर

620 प्रति मा०दि० रखरखाव कार्य

क	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	282.00	386880	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौडी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि.मी	27	16616	ए पी सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर माग-3(a)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौडी	10.0	2.25	प्रति कि.मी	23	13950	ए पी सी सी एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर माग-3(अ)
				योग :		417446	e e
4	अन्य व्यय- फेसिंग मरम्मत, निरीक्षण पथ महामत एवं घारा कटाई कार्य।					80000	LS
			-	कुल योग :		497446	*
		9361					

सगौनी

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

दर-

सप्तम वर्ष 2030-31 खसरा नंबर 73 क्षेत्रफल 53.142है.

682 प्रति मा०दि० रखरखाव कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	' 3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	266.00	425568	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौडी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय गोपाल के जॉब दर गाग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौडी	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	ए पी सी सी एफ, निकास मुख्यालय भोपाल के जींब दर भाग-3(अ)
	e a		1.1	योग :		441014	
2	अन्य व्यय - फेसिंग मरम्मत, झोपडी मरम्मत एवं घांस कटाई।					12000	· LS
				कुल योग :	######	453014	
	*		प्रति हेव	टेयर व्यय :		8525	

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल का नाम- ग्राम द्वारी खसरा नंबर 73 अष्टम वर्ष 2031-32 क्षेत्रफल \$3.142 है. हेक्टेयर

दर–

750 प्रति मा0दि0 रखरखाव कार्य

			1041				
क	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	. इकाई	कुल मानव दिवस	• राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	266.00	468000	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौडी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय मोपाल के जॉब दर माग-3(ब)
3	अग्नि स्रक्षा कार्य 3 मीटर की चौडी पट्टा म कटाई, सफाई एव जलाई सहित	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	९ पी सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय मोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
				योग :-		483446	
4	अन्य व्यय – फेसिंग मरम्मत, झोपडी मरम्मत एव घांस कटाई।	*1				15000	LS ·
				कुल योग :-	######	498446	F.
			प्रति हेव	न्टेयर व्यय ः–	######	9380	

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल की नाम- ग्राम दुर्दरीखसरा नंबर 73 नवम वर्ष 2032-33 क्षेत्रफल 53.142 है. हेक्टेयर

दर–

825 प्रति मा०दि० रखरखाव कार्य

화.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	, इकाई	कुल मानव दिवस	, राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्रक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	266.00	514800	. LS
2	अिंग सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौडी पट्टी में कटाई, सफ़ाई एवं जलाई सहित	8.00	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जीब दर भाग-3(a)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौडी पटटी में कटाई सफाई एवं जलाई सहित	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
				योग :		530246	
4	अन्य व्यय – फेसिंग मरम्मत, झोपडी मरम्मत एवं घांस कटाई।					15000	LS
				कुल योग :	######	545246	
			प्रति हेव	टेयर व्यय :-	######	10260	

स्थ	ल जी नाम- ग्राम <i>दुन्ति</i> खसरा नंब ाम वर्ष 2033-34	व्यय र ७३	का विस्तृत	प्राक्कलन दर–	900	प्रति मा०वि	to
दश	ाम वर्ष 2033-34		न <i>53.142</i> ी क्टेयर			खरखाव व	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्रक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	266.00	561600	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौडी पटटी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.00	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.एफ, विकास मुख्यालय गोपार के जॉब दर भाग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौडी पटटी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपात् के जॉब दर माग-3(अ)
			7/4	योग :		577046	
4	अन्य व्यय – फेसिंग मरम्मत, झोपडी मरम्मत एवं घांस कटाई।		8			15000	LS
				कुल योग :		592046	
	36		प्रति हेव	टेयर व्ययः :		11141	

एकादश वर्ष 2034-35 को नाम- ग्राम कुर्जी खसरा नंबर 73 एकादश वर्ष 2034-35 क्षेत्रफल 53,142 है. हेक्टेयर

दर–

990 प्रति मा०दि० रखरखाव कार्य

क	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दियस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	. 7	8
1	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रिति माह	266.00	617760	LS
?	· अग्नि सुरक्षा कार्य ६ मीटर की चौडी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.00	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय गोपाल के जींब दर गाग-3(a)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौडी पद्दी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय गोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
				योग :-		633206	
4	अन्य व्यय – फेसिंग मरम्मत, झोपडी मरम्मत एवं घांस कटाई।			6 1		15000	LS
	t t			कुल योग :		648206	
		12198	. E.				

प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा स्थल का नाम- ग्राम *युर्गरी* खसरा नंबर 73

क्रमांक	वर्ष	कार्य का विवरण	कार्यो पर वर्षवार कुल व्यय (रू. में)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रति हे. व्यय (रू. में)		
1	2024-25	प्रथम वर्ष भूमि तैयारी	8753090	53.142	164711		
2	2025-26	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	3046987	53.142	57337		
3	2026-27	तृतीय वर्ष, रखरखाव	2413890	53.142	45423		
4	2027-28	चतुर्थ वर्ष, रखरखाव	1268070	53.142	23862		
5	2028-29	पंचम वर्ष, रखरखाव	1084163	53.142	20401		
6	2029-30	षष्टम वर्ष, रखरखाव	497446	53.142	9361		
7	2030-31	सप्तम वर्ष, रखरखाव	खरखाव 453014 53.142				
8	2031-32	अष्टम वर्ष रखरखाव	498446	53.142	9380		
9	2032-33	नवम वर्ष रखरखाव	545246	53.142	10260		
10	2033-34	दशम वर्ष रखरखाव	592046	53.142	. 11141		
11	2034-35	एकादश वर्ष रखरखाव	648206	53.142	12198		
		योग -	19800604		372598		

महायोग :	23958731
पर्यवेक्षण शुल्क— आस्थामूलक कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास की पूर्ण राशि का 10 प्रतिशत	2178066
कुल योग	21780665
मानव संसाधान विकास —(वनीकरण योजना राशि का 1 प्रतिशत)	198006
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन —(वनीकरण योजना राशि का 4 प्रतिशत)	792024
आस्थामूलक कार्य – (वनीकरण योजना राशि का 5 प्रतिशत)	990030

परिक्षेत्र सगौनी

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन मण्डलाधिकारी


वनमण्डल सा० दमोह (म.प्र.)

तकनीकी स्वीकृती आदेश क्रमांक/ट्यूप्/1/4 विनांक 05/09/24 द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत्त सागर (म.प्र.)





राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक 23 अ/20(3) वर्ष 2024-25

(1)

(2)

(3)

12/06/2024

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी हटा से प्राप्त। अवलोकन किया। महाप्रबंधक, खिडया परियोजना पोस्ट शक्तिनगर, जिला सोनभद्र, उ.प्र. वर्तमान, सिगरोली म.प्र. ने मौजा घुघरी प.ह.नं. 54 बमनी, तहसील पटेरा में स्थित भूमि ख.नं. 73 रकवा 92.230 हेक्ट. में से रकवा 53.142 हेक्ट. वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक 0811280704054-APP-20781418 प्रेषित कर मूल दस्तावेज संलग्न किये जाने के उपरांत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी हटा को प्रतिवेदन हेतु भेजा गया।

अनुविभागीय अधिकारी हटा ने नायब तहसीलदार कुम्हारी तहसील पटेरा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण प्रस्तुत किया है। नायब तहसीलदार कुम्हारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में लेख किया है, कि रा.नि. एवं हल्का पटवारी से संयुक्त जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें ग्राम घुघरी प.ह.न. 54 में स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 73 रकवा 92.23 हेक्ट. में से 53.142 हेक्ट. भूमि नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड एन.सी.एल. सिंगरौली गैर वन भूमि वनोपरण (सी.ए.) को हरतांतरित किये जाने हेतु उपयुक्त पाई गई है। ग्राम में इश्तहार का प्रकाशन कराया गया, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्राप्त की गई। रा.नि. एवं हल्का पटवारी द्वारा ग्राम का कुल भौगोलिक रकवा 382.96 हेक्ट. ग्राम के गैर खाते का रकवा 281.24 हेक्ट. ग्राम के खाते का रकवा 101.72 हेक्ट. ग्राम में खाते के कुल रकवा के मान से 2 प्रतिशत चरनोई का रकवा 2.02 हेक्ट., ग्राम में उपलब्ध चरनोई का कुल रकवा 59.92 हेक्ट. है, जो 2 प्रतिशत के मान से 57.90 हेक्ट. अधिक है। ख. नं. 73 रकवा 92.23 हेक्ट. मद पहाड़ चट्टान में दर्ज है। अतः ग्राम घुघरी ग्राम पंचायत वमनी प.इ.नं. 54 में स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 92.23 हेक्ट. में से 53.142 हेक्ट. नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड एन.सी.एल. सिंगरौली भूमि मद पहाड़ चट्टान में से म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत नोईयंत परिवर्तन कर म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अनुसार प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी हटा के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

अनुविभागीय अधिकारी हटा ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम घुघरी ग्राम पंचायत वमनी प.ह.नं. 54 में स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 92.23 हेक्ट. में से 53.142 हेक्ट. वनविभाग म.प्र.शासन के हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया। कम्प्यूटर अभिलेख खसरा वर्ष 2024—25 में ग्राम घुघरी तहसील पटेरा जिला दमोह में स्थित ख.नं. 73 रकवा 92.2300 हेक्ट. पहाड़ म.प्र. राज्य सरकार चट्टान दर्ज है। ग्राम पंचायत बमनी जनपद पंचायत पटेरा जिला दमोह ने पत्र कमांक / गा.पंचा / 2024 दिनांक 04.04.2024 से अनापित्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। वनमंडल अधिकारी, वनमण्डल (सा) दमोह ने पत्र कमांक/मा.चि./2269 दमोह दिनांक 01.05.2024 से लेख किया है, कि ग्राम घुघरी में स्थित ख.नं. 73 रकवा 92.93 हेक्ट. में से रकवा 82.62 हेक्ट. वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई है। प्रकरण को जिला नजूल निर्वर्तन समिति दमोह में प्रस्तुत किया गया। जिसके प्रस्ताव क्र. 09 बैठक दिनांक 11.06.2024 से प्रकरण को अनुमोदित किया गया है।

अतः प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार पटेरा के जांच प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी हटा की अनुशंसा तथा जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति दमोह से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर शासन की विभिन्न परियोजनाओं में प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले मौजा घुघरी प.ह.नं. 54 तहसील पटेरा में स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 73 रकवा 92.230 हेक्ट. में से रकवा 53.142 हेक्ट. मद पहाड़ को वन विभाग (म.प्र.शासन) को म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय-02 की कंडिका-16 के तहत निम्नानुसार

प्रकरण आदेशानुसार कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी हटा भेजा जाता है।

RS/428/0718/4354/2024

कलेक्टर 12/6/19







मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख खातावार खतौ**नी** अथवा जमाबंदी प्ररूप सात (नियम ८ देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम,



CLR No.:11144439777

ग्रामः घुघरी			पटवारी हल्का: वमनी	तहसीलः परे	 :रा		ਯਿਨਾ: दमोह			वर्षः 2024-2025				
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम उसके माता/पिता/पित का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की देशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू- खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धा रण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन सूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्य तन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमे भुगतान के ब्यौरे शामिल हो (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशि ष्टियां	देय राशि	अभि युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	(शासकीय)		73 (S)	कृषि	0.00		कुल भू-राजस्व	0.00			922.30		922.30	
			92.2300 हेक्टेयर				पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	922.3 0						
			कन थे ०० ०००	क्रम गंग्रहण 1	do = 0 00		वाणिज्य कर	0.00]					
			कुल क्षे. 92.2300 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		प्रीमियम	0.00]					
							शास्ति	0.00						
							योग	922.3 0						



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खेसरी प्ररूप एक (नियम 6 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No.: 11144439899

ग्राम: घुघरी			पटवारी हल्का:	वमनी		तहसील: पटेरा			ਯਿਨਾ: ਵ	मोह	বৰ্ষ: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू- खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्ट्रेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू- राजस्व/भू- भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पित का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	नाम, उसकी माता/पिता/पति	(यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के अधीन 1. फेन्रफल खरीफ 2. खी 3. जायद 4. अन्य		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉल्ज्म संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108668 6921	73 (S)		92.2300 हेक्टेयर	(शासकीय)							म.प्र.राज्य सरकार चट्टान
81RZ6U DCN1F			पहाड 92.2300								
3H0			रु.0.00								

